"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 172] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 जुलाई 2005—आषाढ़ 28, शक 1927

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई, 2005 (आषाढ़ 28, 1927)

क्रमांक-9081/विधान/2005.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में इंदिरा कला-संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2005), जो दिनांक 19 जुलाई, 2005 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 14 सन् 2005)

इंदिरा कला-संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन), विधेयक, 2005

इंदिरा कला-संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (क्रमांक 19 सन् 1956) को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ की विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "इंदिरा कला-संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2005" है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषा. 2. इस अधिनियम में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

"मूल अधिनियम" से अभिप्रेत है, इंदिरा कला-संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (क्रमांक 19 सन् 1956)

खण्ड 12 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा-12 के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाये, अर्थात्-

(1) उपधारा (2) अथवा उपधारा (6) के अधीन गठित समिति द्वारा अनुशंसित कम से कम तीन व्यक्तियों की सूची (पेनल) से कुलाधिपति द्वारा कुलपति की नियुक्ति की जायेगी :

परन्तु समिति द्वारा अनुशंसित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों में से कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित व्यक्ति नियुक्ति को स्वीकार करने की इच्छा नहीं रखता हो तो कुलाधिपति ऐसी समिति से नई अनुशंसा प्राप्त कर सकता है.

(2) कुलाधिपति निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त करेगा :-

(एक) कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति ;

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति ;

(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति.

कुलाधिपति इन तीन व्यक्तियों में से एक को समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा.

(3) उपधारा (2) के अधीन समिति के गठन के लिए कुलाधिपति, कुलपति के कार्यकाल की समाप्ति के छः माह पूर्व कार्यकारिणी समिति तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को अपने-अपने नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को चुनने के लिए कहेगा और यदि इस सम्बन्ध में वार्तालाप के एक माह के भीतर उक्त में से एक या दोनों अपने-अपने नामनिर्दिष्टों का चुनाव करने में असफल रहते हैं तो कुलाधिपति समिति के किसी व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट कर सकेगा.

(4) उपधारा (2) के अधीन कोई भी व्यक्ति जो विश्वविद्यालय अथवा किसी महाविद्यालय से सम्बन्धित हो, उसे समिति की सदस्यता के लिए निर्वाचित या नामांकित नहीं किया जायेगा.

(5) समिति अपने गठन की तिथि से छः सप्ताह के भीतर अथवा कुलाधिपति द्वारा चार सप्ताह से अनधिक बढ़ाये गये समय के भीतर सूची (पेनल) प्रस्तुत करेगी.

(6) उपधारा (2) के अधीन गठित की गई समिति, किसी कारणवश यदि निर्धारित समयावधि में उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि में सूची प्रस्तुत करने में असफल रहे, तो कुलाधिपति एक अन्य समिति का गठन करेगा जिसमें ऐसे तीन व्यक्ति होंगे, जो विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से सम्बन्धित न हों, तथा जिनमें से एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में अभिहीत किया जायेगा तदनुसार गठित समिति छ: सप्ताह की कालावधि के भीतर या ऐसी लघुत्तर कालावधि, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर जिसमें कम से कम तीन नाम होंगे, सूची प्रस्तुत करेगी.

(7) यदि उपधारा (6) के अधीन समिति उस उपखण्ड में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर सूची प्रस्तुत करने में असफल रहे तो कुलाधिपति किसी भी ऐसी व्यक्ति को, जिसे वह उपयुक्त समझें, कुलपति नियुक्त कर सकेगा.

4. मूल अधिनियम की धारा 12-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित किया जाय, अर्थात्- धारा 12-क का संशोधन.

(1) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा तथा उसकी परिलब्धियां एवं सेवा शर्तें परिनियमों द्वारा निर्धारित होगी.

(2) कुलपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होगा तथा दो से अधिक कार्यकाल के लिए उसकी पात्रता नहीं होगी, परन्तु 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वह अपना कार्यकाल समाप्त करेगा ;

परन्तु उसकी सेवाकाल की समाप्ति के पश्चात् भी वह कुलपति के पद पर बना रहेगा, जब तक उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाती है तथा नियुक्त व्यक्ति अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता है, किन्तु यह कालावधि छ: माह से अधिक किसी भी परिस्थिति में नहीं होनी चाहिये.

(3) इस संशोधन अधिनियम, के प्रभावशील होने की तिथि के पूर्व नियुक्त कुलपति के द्वारा उपधारा (2) के प्रथम परंतुक के प्रावधानों के बाद भी अपने कार्यकाल को पूर्ण करेगा.

(4) कुलपति की मृत्यु, उसके त्याग पत्र, अवकाश, रूग्णता या अन्य कारणवश उसके पद रिक्त हो जाने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, कुलाधिसंचिव और यदि कोई कुलाधिसचिव नियुक्त नहीं किया गया है अथवा यदि कुलाधिसचिव उपलब्ध नहीं है, तो किसी संकाय के अधिष्ठाता अथवा विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के वरिष्ठतम आचार्य कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया गया कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिसको कि, कोई कुलपति जो ऐसी रिक्ति भरने के लिए धारा 12 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया हो, यथास्थिति अपना पद ग्रहण या पुन:ग्रहण नहीं कर लेता है.

परन्तु इस उपधारा के अधीन अनुध्यात किया गया प्रबन्ध छ: माह से अधिक कालावधि तक नहीं रहेगा.

5. मूल अधिनियम की धारा 12-ख को लोप किया जाए. धारा 12-ख का संशोधन.

6. मूल अधिनियम के धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित को स्थापित किया जावे. धारा 13 में संशोधन.

(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान प्रशासी तथा विद्याविषयक अधिकारी होगा. वह कार्यकारिणी समिति का तथा विद्या परिषद् का पदेन सदस्य तथा अध्यक्ष और वित्त समिति का अध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय के ऐसे प्राधिकारियों, समितियों तथा निकायों का जिनका वह सदस्य हो, अध्यक्ष होगा. वह विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी समिति अथवा अन्य निकाय के किसी भी बैठक में उपस्थित होने तथा बोलने का अधिकारी होगा, किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक अधिकारी नहीं होगा जब तक कि वह ऐसे प्राधिकारी, समिति या निकाय का सदस्य न हो.

(2) यह सुनिश्चित करना कुलपति का कर्त्तव्य होगा कि, इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जा रहा है और उसे इस प्रयोजन के लिए समस्त आवश्यक शक्तियां प्राप्त होगी.

(3) कुलपति को कार्यकारिणी समिति, विद्या परिषद् के तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों, समितियों तथा निकायों के जिनका वह अध्यक्ष हो, बैठक बुलाने की शक्ति होगी, वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा.

(4) यदि कुलपति की राय में कोई ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई हो, जिसमें तुरन्त कार्रवाई की जाना अपेक्षित हो, तो कुलपति ऐसी कार्रवाई करेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् यथाशीघ्र अपनी कार्रवाई का प्रतिवेदन, ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय को, जो कि मामूली अनुक्रम में उस मामले के सम्बन्ध में कार्रवाई करेगा ;

परन्तु कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से विश्वविद्यालय तीन माह से अधिक कालावधि के लिए किसी भी आवर्ती व्यय हेतु वचनबद्ध नहीं होगा ;

परन्तु आगे यह भी कि जहां कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई ऐसी कोई विश्वविद्यालय की सेवा पर प्रभाव डालती हो, वहां ऐसा व्यक्ति उस दिनांक से, जिसको कि ऐसी कार्रवाई की सूचना दी गई हो, तीस दिवस के भीतर कार्यकारिणी समिति को पुनरावेदन करने का अधिकारी होगा ;

परन्तु और यह भी कि, इन शक्ति का विस्तार अध्यादेशों, परिनियमों, एवं विनियमों में संशोधन से सम्बन्धित किन्हीं मामलों या पदों के सृजन और नियुक्तियों से सम्बन्धित किन्हीं मामलों पर विस्तारित नहीं होगा.

(5) उपधारा (4) के अधीन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि सम्बन्धित प्राधिकारी, समिति या निकाय कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई का अनुमोदन न करे तो वह मामले को कुलाधिपति के समक्ष उल्लेखित करेगा. कुलाधिपति का निर्णय इस पर अंतिम होगा.

(6) उपधारा (4) के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई समुचित प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई समझी जायेगी, जब तक कि उपधारा (5) के अधीन किये गये निर्देश के प्राप्त होने पर कुलाधिपति द्वारा उपेक्षित न कर दी जाये या उपधारा (4) के द्वितीय परंतुक के अधीन पुनरावेदन के किये जाने पर कार्यकारिणी समिति द्वारा उपेक्षित न कर दी जाये.

(7) यदि कुलपति की राय में कोई प्राधिकारी, समिति अथवा निकाय की कार्रवाई विश्वविद्यालय के हितों के प्रति हानिकारक हो तो ऐसे प्रकरण में कुलपति अपना अभिमत अंकित कर कुलाधिपति को उल्लेखित करेगा तथा की गई कार्रवाई को सम्बन्धित प्राधिकारी, समिति अथवा निकाय को सूचित करेगा. प्रकरण पर लिया गया निर्णय तब तक प्रभावशील नहीं होगा जब तक कुलाधिपति द्वारा धारा 10 के उपधारा (6) के अधीन निर्णय नहीं दिया जाता है.

(8) कुलपति, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय में प्राधिकारियों के निर्णयों को प्रभावशील करेगा.

(9) कुलपति अन्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि परिनियमों, अध्यादेश या विनियमों द्वारा विहित की जावे.

धारा 20 का संशोधन. 7. मूल अधिनियम की धारा 20 की प्रविष्टि (1) का लोप किया जाये.

धारा 21 का संशोधन. 8. मूल अधिनियम की धारा 21 का लोप किया जाये.

9. इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (क्रमांक 19 सन् 1956) में "विश्वविद्यालय सभा" तथा "सभा" शब्द जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द "कार्यकारिणी समिति" प्रतिस्थापित किया जाये. मूल अधिनियम में विश्वविद्यालय सभा तथा सभा के लिए कार्यकारिणी समिति शब्द का स्थापन.

10. मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित किया जाये- धारा 22 का संशोधन.

(1) कार्यकारिणी समिति के निम्न सदस्य होंगे-

(i) कुलपति ;

(ii) कुलाधिसचिव, यदि हो तो ;

(iii) विश्वविद्यालय के संस्थापक के उत्तराधिकारी ;

(iv) सभी अधिष्ठाता ;

(v) अधिष्ठाताओं के अतिरिक्त महाविद्यालय के दो प्राचार्य जो कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किये गये हो अथवा वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुसरण से दो प्राचार्य ;

(vi) विश्वविद्यालय अध्ययन विभाग का एक प्राध्यापक और प्राध्यापक न होने की स्थिति में एक प्रवाचक जो कुलाधिपति द्वारा वरिष्ठता के चक्रानुसरण से नियुक्त किया गया हो ;

(vii) छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति, जो उपसचिव से न्यून श्रेणी का न हो.

(viii) कुलाधिपति द्वारा मनोनीत दो व्यक्ति.

(ix) राज्य शासन द्वारा मनोनीत छत्तीसगढ़ विधान सभा के दो सदस्य.

(2) उपधारा (1) के (v), (vi), (viii), तथा (ix) में कार्यकारिणी सदस्यों का कार्यकाल अधिनियम की धारा 52 के अध्यधीन तीन वर्ष की होगी.

(3) अध्यक्ष को मिलाकर पांच सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

11. मूल अधिनियम की धारा 26 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये, यथा :- धारा 26 का संशोधन.

इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुए, कार्यकारिणी समिति को छोड़कर विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्ति एवं कर्त्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियम द्वारा विहीत किये जायें. कार्यकारिणी समिति को छोड़कर विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य.

12. मूल अधिनियम की धारा 32 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये :- धारा 32 का संशोधन.

(1) कार्यकारिणी समिति, नीचे दर्शाये तरीके से, समय-समय पर परिनियम निर्माण कर सकेगी, संशोधन कर सकेगी या विलोपित कर सकेगी. परिनियम निर्माण.

(2) कार्यकारिणी समिति से पारित कराने के लिए कुलपति कार्यकारिणी के समक्ष किसी परिनियम का प्रारूप प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसे प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में विचार किया जायेगा.

(3) उपधारा (2) के अन्तर्गत सन्दर्भित ऐसे प्रारूप को कार्यकारिणी समिति सहमति देकर परिनियम पारित कर सकती है या उसे अस्वीकृत कर सकती है या उसके पूरे भाग या किसी एक भाग, कार्यकारिणी द्वारा सुझाए संशोधनों सहित, कुलपति को पुनर्विचार हेतु वापिस कर सकती है.

परन्तु कुलपति ऐसे किसी परिनियम को प्रस्तावित नहीं करेगा या किसी ऐसे परिनियम में संशोधन नहीं रखेगा जिससे विश्वविद्यालय के विद्यमान प्राधिकारी की शक्ति और गठन प्रभावित होते हों, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्ताव पर अपना मत व्यक्त करने का मौका न दिया गया हो तथा ऐसा कोई मत लिखित में हो तथा कार्यकारिणी द्वारा विचारित किया जायेगा.

(4) उपधारा (3) के अन्तर्गत वापिस किये गए प्रारूप पर कुलपति द्वारा कार्यकारिणी समिति द्वारा सुझाए गए संशोधन सहित, यदि कोई हो, आगे विचार करने के पश्चात् उसे पुनः कार्यकारिणी समिति के समक्ष कुलपति के प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत किया जायेगा तथा उसके बाद कार्यकारिणी समिति उसका निराकरण करेगी जैसा वह उचित समझे.

(5) हर नया परिनियम अथवा परिनियम में कोई जोड़ या परिनियम में संशोधन या परिनियम के निरस्तीकरण के लिए कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, जो उसे स्वीकृत कर सकेगा, अस्वीकृत या आगे विचार के लिए वापिस कर सकेगा.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

ऐसा जरूरी समझा जा रहा है कि इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (क्रमांक 19 सन् 1956) में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया, सेवाशर्तें, शक्तियां, सभा तथा कार्यकारिणी समिति से सम्बन्धित प्रावधान छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) के समान हों. राज्य शासन, इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (क्रमांक 19 सन् 1956) में संशोधन प्रस्तावित करता है.

2. अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक : 10 जुलाई, 2005

अजय चन्द्राकर
उच्च शिक्षा मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 (1956 का 19वां) के सुसंगत उद्धरण :-

* *

धारा - 12 (1) कुलपति की नियुक्ति एक ऐसे 3 व्यक्तियों से अन्यून पेनल में से की जायेगी जिसकी अनुशंसा इस नियम की उपधारा (2) के तहत गठित समिति द्वारा की जाये-परन्तु प्रथम कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी.

(2) कुलाधिपति एक तीन सदस्यीय समिति को नियुक्त करेंगे, जिनमें से 2 सदस्यों की नियुक्ति सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से ऐसे व्यक्तियों में से की जायेगी जो कि विश्वविद्यालय से अथवा उससे सम्बद्ध किसी महाविद्यालय से कोई संबंध नहीं रखते हों, एवं तीसरे का नामांकन कुलाधिपति द्वारा किया जायेगा. इन तीनों में से एक व्यक्ति उक्त समिति का अध्यक्ष होगा.

(3) उपरोक्त उपधारा (2) के अधीन समिति का गठन करने के लिए कुलाधिपति कार्यकारणी समिति को अपने नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों का चयन करने के लिए कहेगा, एवं यदि वह कुलाधिपति की इस संसूचना के एक माह के भीतर ऐसा नहीं करती, तो कुलाधिपति किन्हीं दो व्यक्तियों का नामांकन कर देगा, एवं वे व्यक्ति कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त समझे जायेंगे.

(4) समिति अपना पेनल समिति अपने गठन से डेढ़ माह के भीतर प्रस्तुत करेगी.

(5) यदि उपधारा (4) के तहत विहित कालावधि में समिति अपना पेनल नहीं दे पाती तो कुलाधिपति किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वे उपयुक्त समझें कुलपति नियुक्त करेंगे.

(6) किसी आकस्मिक रिक्ति की स्थिति उपस्थित होने समेत, कुलपति के पद पर की गई नियुक्ति 3 वर्ष की कालावधि के लिए होगी, तथा एक ही व्यक्ति कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए 2 बार से अधिक अर्ह नहीं होगा. परन्तु उपरोक्त के बावजूद इस पद पर आसीन कुलपति अपने उत्तराधिकारी की नियमित पदस्थापना और उसके कार्यभार ग्रहण करने तक पदासीन रहेगा किन्तु यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(7) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, कुलपति की सेवा शर्तें इस संबंध में बनाये गये परिनियमों के अनुरूप होंगी.

(8) कुलपति की मृत्यु होने, उसके द्वारा त्यागपत्र दिये जाने अथवा अन्यथा उसके पद रिक्त होने की स्थिति में उपधारा (1) के अधीन उल्लिखित रीति से यह रिक्ति जितनी जल्दी व्यवहारिक हो, भरी जायेगी.

12-ए (1) यदि इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हो, एवं ऐसी जांच करने के पश्चात्, कुलाधिपति को ऐसा प्रतीत हो कि कुलपति ने -

(i) अपने कर्त्तव्यों में, जो कि इस अधिनियम के तहत उसके द्वारा किये जाते हैं, को करने में कोई त्रुटि की है, अथवा

(ii) ऐसा कोई कृत्य किया है जिससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, अथवा

(iii) वह विश्वविद्यालय प्रबंधन में अयोग्य पाया जाता है :-

तो कुलाधिपति उस स्थिति में भी, यद्यपि कुलपति की पदावधि समाप्त नहीं हुई हो, लिखित कारणों सहित कुलपति को अपने पद से विहित तिथि से, त्याग करने के निर्देश दे सकेगा.

(2) उपधारा एक के अन्तर्गत कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा, जब तक उन कारणों को, जिनके आधार पर ऐसे आदेश किया जाना प्रस्तावित हो, कुलपति को संसूचित नहीं कर दिया जाये एवं उसे इस संबंध में कारण बताने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दे दिया जाये, कि ऐसे आदेश क्यों न पारित कर दिये जायें.

(3) उपधारा (1) में उल्लेखित तिथि से, ऐसे समझा जायेगा कि कुलपति ने अपना पद त्याग दिया है, और कुलपति का पद रिक्त समझा जायेगा.

धारा 12-बी. **कुलपति के कर्त्तव्यों एवं कार्यों के निर्वहन के लिए नियुक्ति**

(1) इस अधिनियम की किसी भी धारा में उल्लेखित प्रावधानों के बावजूद, यदि कुलपति का पद रिक्त हो जाता है, उस स्थिति में कुलाधिपति, धारा 12 के तहत् कुलपति की नियुक्ति करने के अपेक्षा कार्यकारणी समिति के किसी सदस्य को, जिसे वे उचित समझें, कुलपति के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, ऐसी शर्तों के तहत जिन्हें वे समय-समय पर निर्धारित करें, कार्य करने के लिए आदेश दे सकेंगे.

परन्तु इस प्रकार से नियुक्त सदस्य की कालावधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये सदस्य को वे सब शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि इस अधिनियम के अधीन कुलपति को प्राप्त हैं.

धारा 13 (1) कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी एवं अकादमिक (शैक्षिक) अधिकारी होगा, तथा कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय सभा एवं दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा. वह विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति तथा शिक्षा समिति का पदेन सदस्य व अध्यक्ष होगा, व उसे किसी भी बैठक अथवा विश्वविद्यालय के अन्य निकाय में उपस्थित होने का तथा चर्चा करने का अधिकार होगा, किन्तु यदि उक्त प्राधिकरण अथवा निकाय में वह सदस्य नहीं है तो उसे उसमें वोट देने का अधिकार नहीं होगा.

(2) कुलपति का कर्त्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि इस अधिनियम, एवं उसके अध्यादेशों तथा परिनियमों का सन्निष्ठापूर्वक पालन हो रहा है, तथा उसे इस संबंध में सभी शक्तियां प्राप्त होंगी.

(3) कुलपति को विश्वविद्यालय सभा, कार्यकारिणी सभा तथा शिक्षा समिति की बैठकें बुलाने का अधिकार होगा.

(4) यदि कुलपति की राय में कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो, जिस कारण तत्काल कोई कार्य किया जाना हो, तो वह ऐसा कार्य करेगा, एवं उसके बारे में उससे संबंधित प्राधिकरण को उसकी अगली बैठक में प्रतिवेदन देगा.

परन्तु कुलपति की उक्त कार्यवाही के कारण विश्वविद्यालय पर कोई आवर्ती आर्थिक बोझ 3 माह से अधिक अवधि के लिए नहीं पड़ना चाहिए.

(5) उपरोक्त धारा के अधीन कुलपति द्वारा किया गया कोई भी कार्य इस संबंध से गठित प्राधिकारी द्वारा किया हुआ समझा जायेगा, जब तक उसे कुलपति की उपधारा (4) के अधीन दी गई रिपोर्ट पर विचार करते हुए उक्त प्राधिकारी द्वारा उसे अतिष्ठित न कर दिया जाये.

(6) कुलपति विश्वविद्यालय के ऊपर सामान्य नियंत्रण रखेगा तथा विश्वविद्यालय संबंधी प्राधिकारियों द्वारा लिये गये निर्णयों को प्रभावी करने की कार्यवाही करेगा.

(7) कुलपति परिनियमों तथा अध्यादेशों में उल्लिखित शक्तियों का उपयोग करेगा.

* *

धारा 20 (1) विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :-

1. विश्वविद्यालय सभा
2. कार्यकारिणी सभा
3. शिक्षा समिति
4. वित्त समिति
5. विद्यांग निकाय
6. परिनियमों में उल्लिखित अन्य प्राधिकारी

* *

धारा 21 इन्दिरा कला-संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का 8वां) द्वारा संशोधित. विश्वविद्यालय सभा (युनिवर्सिटी कोर्ट) परिनियमों में उल्लिखित अनुसार बनाये जायेंगे.

इस अधिनियम के अधीन "सभा" निम्नलिखित शक्तियों का उपयोग करेगी तथा कर्त्तव्यों का वहन करेगी, अर्थात् :-

(1) विश्वविद्यालय के सभी मामलों में परामर्शदायिनी के रूप में.

(2) विश्वविद्यालय की सामान्य नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा, तथा उनमें सुधार एवं विश्वविद्यालय का विकास.

(3) विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा एवं उसकी संपरीक्षा संबंधी संकल्पों को, यदि कोई हो तो पारित करना.

(4) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के कार्यों की समीक्षा, उस स्थिति को छोड़कर जबकि उन्होंने इस अधिनियम, एवं इसके अध्यादेशों/परिनियमों के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग किया हो.

(5) इस अधिनियम एवं परिनियमों द्वारा जो भी शक्तियां एवं कर्त्तव्य उसे सौंपे जायें.

* *

धारा 22 (1) विश्वविद्यालय सभा दिसम्बर अथवा जनवरी में, जब तक कि कोई अन्य तिथि विश्वविद्यालय सभा द्वारा निश्चित न कर दी गई हो, वर्ष में एक बार विश्वविद्यालय सभा द्वारा आहूत वार्षिक बैठक में भागीदारी करेगी.

(2) विश्वविद्यालय सभा की बैठक, जिसे उपधारा (1) के अधीन आहूत किया गया हो, को कुलपति द्वारा निरस्त अथवा बाद की तिथियों के लिए निश्चित नहीं किया जायेगा, किन्तु यदि पर्याप्त कारण हो तो कुलाधिपति उक्त बैठक को मूल तिथि से 15 दिन के अनाधिक आगे के लिए निश्चित कर सकेंगे.

(3) कुलपति, जब भी उपयुक्त समझें, विश्वविद्यालय सभा के कम से कम कुल में से 1/5 विश्वविद्यालय सभा के सदस्यों के मांग पर विश्वविद्यालय सभा की बैठक को इस मांग के प्राप्त होने के 45 दिन के अंतर्गत आहूत कर सकेंगे.

(4) यदि कुलपति उपधारा (3) के अंतर्गत एक विशेष बैठक बुलाने में अक्षम रहते हैं, तो कुलसचिव उक्त बैठक की मांग को तत्काल कुलाधिपति को उनके आदेशों के लिए अग्रेषित करेंगे, एवं कुलाधिपति उक्त बैठक को आहूत करने के लिए एक ऐसी तिथि निश्चित करेंगे जो कि इस मांग की प्राप्ति के लिए 60वें दिन से अधिक बाद की नहीं होगी.

(5) यदि उपधारा (1) के तहत कुलपति द्वारा वार्षिक बैठक की तिथि निश्चित नहीं की जाती, तो वह फरवरी माह के तीसरे सोमवार को की जायेगी और कुलसचिव ऐसी बैठक की सूचना प्रदाय करेगा.

(6) जब विश्वविद्यालय सभा की बैठक के लिए विश्वविद्यालय सभा द्वारा उपधारा (1) के तहत अथवा कुलाधिपति द्वारा उपधारा (2) के तहत अथवा यदि उपधारा (5) के तहत बैठक करना आवश्यक हो गया हो, ऐसी स्थिति में कुलसचिव विश्वविद्यालय सभा के सदस्यों को बैठक की सूचना देगा किन्तु परिनियमों, अध्यादेशों अथवा विनियमों के बावजूद, ऐसी बैठक की वैधानिकता को कम नोटिस अथवा नोटिस के जारी करने में अनियमितता के आधार पर चुनौती नहीं दी जायेगी.

* *

धारा 26 इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों का गठन उनकी शक्तियां एवं कर्त्तव्य ऐसे होंगे जो कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किये जायें.

* *

धारा 32 (1) विश्वविद्यालय सभा समय-समय पर, इसके बाद परिनियमों के द्वारा किसी भी परिनियम का निर्माण, उसमें सुधार अथवा उसका निरस्तीकरण (जैसा कि आगे विहित किया जाये) कर सकेगी.

(2) कार्यकारिणी समिति विश्वविद्यालय सभा को, विश्वविद्यालय सभा द्वारा पारित किये जाने हेतु किसी भी परिनियम का प्रारूप दे सकेगी, जिसे सभा द्वारा अपनी अगली बैठक में विचार में लाया जायेगा.

(3) विश्वविद्यालय सभा ऐसे प्रारूप को जिसका उल्लेख उपधारा (2) में किया गया है, का अनुमोदन करते हुए परिनियम पारित कर सकेगी, अथवा उसे अस्वीकृत करते हुए कार्यकारिणी समिति को उसे पूर्ण रूप से अथवा पुनर्विचार करने के लिए लौटा सकेगी, उस पर सुधार के सुझाव भी दे सकेगी.

परन्तु कार्यकारिणी समिति किसी भी परिनियम में ऐसा संशोधन प्रस्तावित नहीं करेगी, जिससे विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की शक्तियों पर प्रभाव पड़ता हो, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उक्त प्रस्ताव पर अपना अभिमत व्यक्त करने का अवसर न मिला हो और उसकी राय लिखित में न ले ली गई हो, एवं उस राय पर विश्वविद्यालय सभा द्वारा विचार न किया गया हो.

(4) उपधारा (3) के अधीन लौटाये गये प्रारूप पर विचार करने के उपरांत कार्यकारिणी समिति विश्वविद्यालय सभा को संशोधनों प्रस्ताव सहित भेजा जायेगा जो कि पुन: कार्यकारिणी समिति के प्रतिवेदन सहित विश्वविद्यालय सभा को प्रस्तुत होगा, तथा विश्वविद्यालय सभा उस पर उस प्रकार की कार्यवाही करेगी जैसा वह उपयुक्त समझें.

(5) विश्वविद्यालय सभा का कोई सदस्य सभा को किसी परिनियम के बारे में प्रारूप दे सकेगा. सभा उसे अस्वीकार कर सकेगी अथवा उसे कार्यकारिणी समिति को भेज सकेगी जो या तो उसे अस्वीकार कर सकेगी अथवा उसे उस रूप में प्रस्तुत करते हुए सभा को प्रस्तुत करेगी जैसा कि कार्यकारिणी समिति अनुमोदित करे, एवं इस धारा के प्रावधान उस पर उस रूप में लागू होंगे जैसे कि वे विश्वविद्यालय को कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये हों.

(6) प्रत्येक नया परिनियम, अथवा किसी परिनियम में कोई अंश जोड़ने अथवा परिनियम के संशोधन अथवा निरस्तीकरण के लिए कुलाधिपति की पूर्वानुमति आवश्यक है, जो कि स्वीकृति अथवा अस्वीकृति दे सकेंगे अथवा प्रस्ताव पर आगामी विचार के लिए उसे वापस कर सकेंगे.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.